# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

## पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2018RAAJu223RTA115 Chhogaram Vs Smt Agaro

छोगाराम पुत्र पदमाराम मेघवाल
निवासी साई तहसील शेरगढ
जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट

**ब**

**ना**

**म**

श्रीमती अगरो पत्नी घमण्डाराम मेघवाल
निवासी ग्राम उटाम्बर, तहसील बालेसर
जिला जोधपुर

----- रेस्पो.

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी शेरगढ दिनांक 26 जून 2018 राजस्व वाद संख्या 58/2014 श्रीमती अगरो बनाम छोगाराम**

----- 0 -----

**उपस्थित-**

श्री उम्मेदसिंह बांवरा, अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री महेन्द्रप्रसाद गेंवा, अधिवक्ता रेस्पो

## नि र्ण य

**दिनांक :** 24 अक्तू., 2019

विद्वान उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ द्वारा राजस्व वाद संख्या 58/2014 श्रीमती अगरो बनाम छोगाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 जून 2018 के खिलाफ अपीलाण्ट छोगाराम ने आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 24 जुलाई 2018 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादिनी-रेस्पो. ने प्रतिवादी-अपीलाण्ट के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम सोहनगढ पटवार क्षेत्र साई तहसील शेरगढ स्थित आराजी खसरा संख्या 676 रकबा 88 बीघा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 672 रकबा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 673 रकबा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 678 रकबा 7 बिस्वा, एवं खसरा संख्या 675 रकबा 11 बिस्वा कुल रकबा 89 बीघा 9 बिस्वा के संबंध में पेश कर जाहिर किया कि खसरा संख्या 654 व 655 की कृषि वादिनी-रेस्पो. एवं प्रतिवादी-अपीलाण्ट के पिता पदमाराम की खातेदारी भूमि थी, पदमाराम के देहान्त के बाद उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में छोगाराम के नाम दर्ज हो गयी, छोगाराम ने उक्त आराजियात में अपना एवं अपनी बहिन पेपों देवी के हिस्से का बेचान कर केता का मौके पर कब्जा करवा दिया। अपने हिस्से का बेचान कर देने के बाद अब प्रतिवादी-अपीलाण्ट का उक्त आराजियात में कोई हक-हिस्सा बाकर नहता है। वाद में यह भी जाहिर किया गया कि वादिनी-रेस्पो. के पिता पदमाराम का देहान्त 1997-98 के लगभग हो गया, तब नामान्तरकरण संख्या 4 दिनांक 21 मार्च 1998 को प्रतिवादी एवं वादिनी की माता के नाम स्वीकार किया गया, वर्तमान में वादिनी की माता के नाम स्वीकृत हुआ। वादग्रस्त आराजियात में वादिनी के पिता पदमाराम का 5वां हिस्सा था, अर्थात उनके हिस्से में 17 बीघा 18 बिस्वा भूमि बंट में आती थी, मगर मौके पर आदिनांक तक वादिनी-रेस्पो. का कब्जा काश्त होते हुए भी राजस्व रिकार्ड में गलत तौर पर प्रतिवादी-अपीलाण्ट का नाम दर्ज कर दिया गया। जिसके आधार पर वादग्रस्त आराजियात को प्रतिवादी-अपीलाण्ट बेचान करने आमदा है। अतः दावा स्वीकार किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दावा दर्ज किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ 16 मई 2018 की तारीख-पेशी हेतु मुकर्रर थी, किन्तुं निर्धारित दिनांक पर पेशी में नहीं रखी जाकर दिनांक 21 मई 2018 को "... न्याय आपके द्वारा कैम्प सांई वादी उप.। प्रतिवादी अनुपस्थित। प्रकरण को पुनः हिम्मतपुरा कैम्प मे पेश किया जावे।" (कोई दिनांक अंकित नहीं) आगे प्रकरण 26 जून 2018 को हिम्मतपुरा कैम्प में पेश हुआ जिस दिन अपीलउाधीन आदेश पारित किया । जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने प्रकरण के तथ्यों एवं अपीलमीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण हिम्मतपुरा कैम्प कोर्ट में रखे जाने बाबत कोई सूचना प्रतिवादी-अपीलाण्ट को नहीं दी, न ही कोई नोटिस दिया, आदेशिकाओं मे कई मर्तबा आगामी तारीख पेशी की कोई दिनांक ही मुकर्रर नहीं की और पुनः प्रकरण पेशी पर लिये जाने के पूर्व अपीलाण्ट-प्रतिवादी को सम्मन/नोटिस जारी कर अथवा अन्य किसी प्रकार से कोई सूचना ही नहीं दी। दावे में अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने के पूर्व न तो किसी के गवाह बयान आदि हुए और न ही दस्तावेजात प्रदर्श करवाये गये। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी अपास्त किये जावे।

जबाब में प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस प्रस्तुत कर जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजियात में पदमाराम का 1/5 हिस्सा है, पदमाराम के देहान्त के समय उसकी दो पुत्रिया रेस्पो. अगरो व एक अन्य पेपों, एक पुत्र अपीलाण्ट छोगाराम, तथा पत्नी लोगादेवी थी, मगर पदमाराम का फौतेदगी म्युटेशन छोगाराम ने अकेले

अपने नाम भरवा लिया और दोनों बहनों एवं माता का नाम दर्ज नहीं करवाया, इस प्रकार वादग्रस्त आराजियात में अपीलाण्ट का मात्र ¼ हिस्सा ही है, ¼ हिस्सा रेस्पो. का भी बनता है। अपीलाण्ट ने बिना बताए अपनी बहन पेपो एवं माता का हिस्सा भी बेच दिया। रेस्पो. के अधिवक्ता ने यह भी जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय की राजस्व मामलों संबंधित कार्यवाही किसी भी नजदीकी कैम्प कोर्ट में की जा सकती है, यह तथ्य स्वयं अपीलाण्ट की जानकारी में है। अतः इस संबंध में उठाये गये आक्षेप महत्वहीन है। अंत में अधिवक्ता-रेस्पो. ने आलौच्य अपील सारहीन होने से तदनुसार खारिज किये जाने एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक न्यायिक वाद के निस्तारण हेतु निर्धारित विधिक प्रकिया की पालना सुनिश्चित किये बिना ही एक पंच-निर्णय के समान अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद में न तो प्रतिवादी-अपीलाण्ट की ओर से जबाब पत्रावली पर आया है, न तनकियात कायम हुई है और न कोई गवाह के बयान हुए और न ही कोई दस्तावेज प्रदर्श कराया गया है। यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामले में संजीदा रुख अपनाया गया होता तो इस प्रकार निर्धारित विधिक प्रकिया की अवहेलना नहीं होती और न ही आदेशिकाओं में इस प्रकार की स्थिति होती कि आगे की पेशी बाबत कोई निश्चित तारीख ही आदेशिका में नहीं दी गयी हो। (जैसा कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 17 जून 2016 एवं 21 मई 2018 की आदेशिका से प्रकट होता है।) यही नहीं, प्रकरण जब भी मूल स्थान से किसी शिविर आदि में सुनवाई हेतु लगाया गया, उसकी समुचित सूचना अपीलाण्ट को दिया जाना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रकट नहीं होता है।

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निर्धारित विधिक प्रकिया एवं नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं पाये जाने के कारण समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाये जाते है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपास्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि प्रतिवादी-अपीलाण्ट को जबाब पेश करने का अवसर दिया जाकर मामले में दावे और जबाब के परिप्रेक्ष्य में तनकियात कायम की जावे, तत्पश्चात साक्ष्य सुनवाई की जाकर नियमानुसार विधिसम्मत रूप से विवेचन एवं विश्लेषण कर न्यायोचित निर्णय वांछित राहत की सीमा तक पारित किया जावे। उभयपक्षकारान दिनांक 18 नवम्बर 2019 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित रहे। अपीलाण्ट दिनांक 18 नवम्बर 2019 को ही मूल दावे में अपना जबाब पेश करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/X/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर